न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–25/2017–18

राजेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ नेमन सिंह वगैरह बनाम रामा देवी

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
07/05/18	**आदेश** आवेदकगण के द्वारा विपक्षी रामा देवी, पति स्व0 उमा शंकर प्रसाद, ग्राम–कल्याणपुर (नोहटा) थाना–फतुहाँ, जिला–पटना के नाम पर फतुहाँ अंचलांतर्गत मौजा–मोसिमपुर, कुर्था, थाना नं0 17, खाता नं0 65, खेसरा नं0 242 रकवा 1.83 एकड़ भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी सं0 195 को रद्द करने हेतु यह वाद दायर किया गया है। **आवेदकगण का कहना है कि** (1) प्रश्नगत भूखण्ड मौजा–मोसिमपुरकुर्था, थाना नं0 17, खाता नं0 65, खेसरा नं0 242 कुल रकवा 1.83 एकड़ सर्वे खतियान में सुबा सिंह, पिता गुरजी सिंह एवं राम नारायण साव, पिता चमन साव के नाम से दर्ज है, जमीन रैयती है तथा लगान खतियान में दर्ज है। (2) खतियानी रैयतों के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 10.05.1920 को 90/–(नब्बे) रू0 में धानु महतो एवं रामदास गोप को बेच दी गयी। खरीदगी के पश्चात धानु महतो एवं रामदास महतो प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये तथा भूतपूर्व जमीन्दार को लगान अदा करने लगे। (3) मूल तौजी सं0 190 का भूतपूर्व जमीन्दारों के बीच बंटवारा हुआ तथा प्रश्नगत भूखण्ड के लिए नया तौजी सं0 734 बना। भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा वर्ष 1928–29 में आवेदकगण के पूर्वजों के नाम से रोड सेस जमा किया गया। (4) भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात आवेदकगण के पूर्वजों के नाम से रिटर्न दायर किया गया। आवेदकगण के पूर्वजों का नाम बिहार सरकार के सरिस्ता में दर्ज हुआ तथा बिहार सरकार को लगान अदा किया जाने लगा। (5) धानु महतो एवं रामदास महतो की मृत्यु वर्ष 2000 में हो गयी। फरीकैन के बीच आपसी बंटवारा हुआ तथा दाखिल खारिज वाद सं0 523/2001–02 एवं अन्य दाखिल खारिज वादों से आवेदकगण के नाम दाखिल खारिज होकर अलग–अलग जमाबंदियाँ कायम की गयी। (6) धानु महतो एवं रामदास महतो के वंशज प्रश्नगत भूखण्ड पर दाखिल काबिज है तथा उनके नाम से जमाबंदी सं0 18/1, 123/ए, 122/ए, 136/1, 137, 92/1, 91/1, 21/1, 22/1, 23/1 एवं 24/1 कायम है। (7) विपक्षी रामा देवी के द्वारा लगभग 95 वर्षों के बाद स्वंय को राम नारायण साव की वंशज बताते हुए प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना दावा जताते हुए अंचलाधिकारी, फतुहाँ को आवेदन दिया गया। जबकि राम नारायण साव के द्वारा वर्ष 1920 में ही प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री आवेदकगण के पूर्वजों को की जा चुकी है। प्रश्नगत भूखण्ड पर राम	

नारायण साव या उनके वंशज का कोई दावा नहीं बनता है।

(8) विपक्षी रामा देवी के आवेदन पर अंचलाधिकारी, फतुहॉ के द्वारा आवेदकगण के नाम से कायम उपर्युक्त जमाबंदियों को रद्द करने का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को भेजा गया, जिसके आधार पर अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में जमाबंदी रद्द वाद सं0 34/2016–17 आरम्भ हुआ। उक्त जमाबंदी रद्द वाद दिनांक 10.01.2017 को निरस्त कर दिया गया।

(9) अंचलाधिकारी, फतुहॉ एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर लगान निर्धारण वाद सं0 58/2016–17 के अन्तर्गत विपक्षी रामा देवी के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड का लगान निर्धारण करते हुए जमाबंदी कायम कर दी गयी, जो अवैध है।

(10) लगान निर्धारण के द्वारा विपक्षी रामा देवी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 195 को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदन के साथ निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) सर्वे खतियान की प्रति
(2) जमीन्दारी रसीद
(3) लगान निर्धारण वाद सं0 58/2016–17 का आदेश
(4) दाखिल खारिज वाद सं0 523/2001–02 का आदेश
(5) राजेन्द्र प्रसाद की जमाबंदी सं0 18/1 पर $37\frac{1}{2}$ डी0 की निर्गत वर्ष 2017–18 की लगान रसीद
(6) रामा देवी की जमाबंदी सं0 195 पर 1.83 एकड़ की निर्गत वर्ष 2016–17 की लगान रसीद
(7) अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय के जमाबंदी रद्द वाद सं0 34/2016–17 का दिनांक 10.01.2017 का आदेश

विपक्षी का कहना है कि :–

(1) यह वाद रद्द करने योग्य है तथा चलने योग्य नही है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे खतियान में सुबा सिंह एवं राम नारायण साव के नाम से दर्ज है। राम नारायण साव के वंशज पूर्व से प्रश्नगत भूखण्ड पर दखलकार है। आवेदकगण कभी भी उक्त भूखण्ड पर दखल में नहीं आये।

(3) आवेदकगण के द्वारा अंचल स्टाम्फ को मेल में लेकर अपने नाम से अवैध जमाबंदी कायम करा ली गयी है, जो रद्द करने योग्य है।

(4) खतियानी रैयत राम नारायण साव के नाम से पंजी–2 में जमाबंदी कायम थी, परन्तु उक्त जमाबंदी पंजी फट जाने के कारण विपक्षी के द्वारा अपने नाम से नयी जमाबंदी कायम करने हेतु आवेदन दिया गया, जिसपर जांचोपरान्त भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा नियमानुसार लगान निर्धारित करते हुए, जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया गया।

(5) आवेदकगण के आवेदन को अनुचित बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के परिशीलन से निम्नलिखित तथ्य सामने आते है।

(1) आवेदकगण के द्वारा लगान निर्धारण वाद सं0 58/2016–17 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा विपक्षी रामा देवी के पक्ष में लगान निर्धारण की गयी स्वीकृत के विरूद्ध यह वाद लाया गया है। आवेदकगण को लगान निर्धारण वाद में पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9 के तहत जमाबंदी रद्द करने हेतु वाद दायर किया गया, जो उचित नहीं है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदकगण की जमाबंदी रद्द करने हेतू पूर्व में विपक्षी रामा देवी के द्वारा अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय से जमाबंदी रद्द वाद सं0 34/2016–17 लाया गया था। उक्त वाद पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया था।

(3) प्रश्नगत भूखण्ड पर उभय पक्षों के बीच स्वत्व को लेकर विवाद है, जिसको लेकर व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 480/12 चल रहा है।

(4) विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा Misc Appeal No. 556/2017 में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.04.2018 को पारित आदेश की प्रति दाखिल की गयी है, जिससे यह पता चलता है कि स्वत्व वाद सं0 480/12 में दिनांक 27.03.2017 को सब जज–VI पटना सिटी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा इस वाद की विपक्षी एवं अन्य के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में Misc Appeal No. 556/2017 दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया कि इस वाद के आवेदकगण के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तथा अपील निरस्त कर दी गयी।

सम्यक विचारोपरान्त मैं यह समझता हूँ कि प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर उभय पक्ष के बीच स्वत्व वाद सं0 480/2012 चल रहा है। उक्त स्वत्व वाद में दिनांक 27.03.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में Misc Appeal No. 556/2017 दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया कि इस वाद के आवेदकगण के पास प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः Misc Appeal दिनांक 18.04.2018 के आदेश से निरस्त कर दी गयी। इस परिस्थिति में आवेदकगण के द्वारा इस न्यायालय में समर्पित कागजातों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता है तथा उसके आधार पर कोई आदेश पारित करना विधि सम्मत नहीं होगा।

आवेदकगण का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। स्वत्व वाद में व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम रूप से प्रभावी होगा।

लेखापित एवं संशोधित।

2/5/18

(बजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना

2/5/18

(बजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना